जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली—

प्रेस विज्ञप्ति 08.10.2025

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब के पव्वे बरामदः-

आज दिनांक 07/08.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 24 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शहनवाज पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 24 पव्वे देशी शराब।

थाना कैराना पुलिस द्वारा "ऑपरेशन सवेरा" अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 50 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये) बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक **पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम** हेतु एक विशेष अभियान **"ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर"** चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह** के कुशल निर्देशन, **अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह** के प्रभावी नेतृत्व तथा **क्षेत्राधिकारी कैराना** के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 08.10.2025 को थाना कैराना पुलिस द्वारा **01 मादक पदार्थ तस्कर सादिक पुत्र रुकमदीन निवासी ग्राम अलीपुर थाना कैराना जनपद शामली को अवैध 50 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय_अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये)** सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 627/2025 धारा 08/21 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त सादिक उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

- सादिक पुत्र रुकमदीन निवासी ग्राम अलीपुर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 50 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 श्री अनिरुद्ध कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 प्रमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- का0 निशान्त कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>पुलिस की अपील</u>

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। **“नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर”** बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

<u>थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 08.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.रोहताश पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम कसेरवा कलां थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में युवती/महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को दंडित किया गया।</u>

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त आर्यन पुत्र नत्थूराम निवासी मौहल्ला फैजपुर ग्राम निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा युवती/महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियुक्त आर्यन उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 640/2020 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया था। साक्ष्य संकलन करते हुए सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.10.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त आर्यन उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 294 भादवि में 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.आर्यन पुत्र नत्थूराम निवासी मौहल्ला फैजपुर ग्राम निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर 02 मामलो में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 5,150/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

1.वर्ष 2008 में अभियुक्त इरफान पुत्र जमालू निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 819/2008 धारा 5/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 08.10.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना से अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 5,100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2024 में अभियुक्त सुनील पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला मौहम्मदीगंज कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 358/2024 धारा 13 जी सार्वजनिक जुआं अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 08.10.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना से अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 दिवस कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के निर्देशन में "साइबर जागरूकता अभियान" के अंतर्गत जनपद शामली में आमजन को जागरूक करने हेतु प्रतिदिन की जा रही कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक जनपद शामली **श्री एन0पी0 सिंह** के निर्देशन में अक्टूबर माह में **National Cyber Security Awareness Month (NCSAM)** के अंतर्गत साइबर जागरूकता अभियान पूरे जनपद में निरंतर संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी थानों द्वारा ग्राम, मोहल्ला, नगर पंचायत, रेलवे स्टेशन, स्कूल एवं कॉलेजों में साइबर सुरक्षा कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं तथा नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य एवं प्रमुख बिंदुः-

1. आम जनता को तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित रहने के उपाय बताना।
2. ऑनलाइन फ्रॉड जैसे निवेश, बीमा, बिजली बिल, फर्जी चालान, गलत ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया हैकिंग, **AEPS (Aadhar Enabled Payment System)** आदि से बचाव के उपाय बताना।
3. किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल **1930 हेल्पलाइन** अथवा **cybercrime.gov.in** पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिकों को प्रेरित करना।

इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 08.10.2025 को विविध कार्यक्रम आयोजित किए गएः-

- आज दिनांक **08.10.2025 को थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा साइबर चौपाल एक्सप्रेस (मोबाइल वैन) के माध्यम से शामली नगर के प्रमुख और व्यस्त स्थलों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी निवेश, सोशल मीडिया सुरक्षा और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वैन में उपस्थित पुलिस कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, अनजान लिंक या कॉल से सतर्क रहने, डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतने, AEPS और अन्य ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी से बचने के उपाय समझाए। इसके साथ ही नागरिकों को 1930 हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी दी गई,** ताकि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज की जा सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनपद शामली के नागरिक लगातार साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में यह मोबाइल वैन निरंतर पूरे शहर में घूमती रहेगी, ताकि प्रत्येक नागरिक तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुँच सके और सभी ऑनलाइन गतिविधियों में सतर्क रहकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपना सकें।

- **आज दिनांक 08.10.2025 को** क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमरदीप मौर्य, प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन शर्मा थाना कोतवाली शामली, **मिशन शक्ति/एंटी रोमियो टीम थाना कोतवाली**, **महिला एवं बाल कल्याण विभाग**, **शिक्षा विभाग**, **स्वास्थ्य विभाग**, **ग्राम प्रधान**, **ग्राम सचिव**, **आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रीगण** द्वारा ग्राम **ताजपुर सिंभालका** में महिलाओं को **साइबर क्राइम, धोखाधड़ी, छेड़छाड़, बाल अपराध** तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न **जनकल्याणकारी योजनाओं** व **हेल्पलाइन नंबरों** जैसे – **1090 (वूमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 108 (एंबुलेंस सेवा)** आदि की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं जैसे **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**, **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना**, **समूह विवाह योजना** आदि के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही **थाना कोतवाली शामली पुलिस** द्वारा **साइबर चौपाल एक्सप्रेस (मोबाइल वैन)** के माध्यम से शामली नगर के विभिन्न स्थलों पर व्यापक **जागरूकता अभियान** चलाया गया। इस दौरान नागरिकों को

साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया सुरक्षा एवं सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई।

- **प्रभारी साइबर सैल** द्वारा पुलिस लाइन **मंडी सभागार कक्ष** में जनपद शामली के **जनसेवा केंद्र/साइबर कैफे संचालकों** की बैठक आयोजित की गई, जिसमें **ऑनलाइन फ्रॉड** जैसे निवेश, बीमा, बिजली बिल, फर्जी चालान, गलत ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया हैकिंग, **AEPS फ्रॉड** आदि से बचाव के उपाय बताए गए।

- श्रीमती सीमा शर्मा, प्रभारी साइबर क्राइम थाना शामली द्वारा मोहल्ला म्यान (थाना झिंझाना) में साइबर जागरूकता चौपाल आयोजित की गई, जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया हैकिंग, फिशिंग, AEPS फ्रॉड से बचाव के तरीके बताए गए तथा 1930 हेल्पलाइन एवं cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने साइबर शपथ ली, जिसमें उन्होंने सुरक्षित इंटरनेट उपयोग अपनाने और ऑनलाइन गतिविधियों में सतर्क रहने का संकल्प लिया।

- **थाना झिंझाना पुलिस** द्वारा **पंचायत भवन ग्राम टोड़ा एवं ग्राम खेड़की** में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को **सुरक्षित डिजिटल व्यवहार** अपनाने और अनजान लिंक या कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी गई।

- **महिला थाना शामली** व **थाना थानाभवन पुलिस** द्वारा **ग्राम पंचायत सोहजनी उमरपुर** में महिलाओं एवं बालिकाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें **ऑनलाइन उत्पीड़न, छेड़छाड़, महिला सुरक्षा ऐप्स** एवं **महिला हेल्पलाइन नंबर (1090, 181, 112)** के बारे में बताया गया।

- **थाना कैराना पुलिस** द्वारा **गुरुदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज, ग्राम पावटी कलां** में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई।

- **थाना कांधला पुलिस** द्वारा **ग्राम इस्लामपुर घसौली** एवं **इस्सोपुर टील** में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहाँ नागरिकों को **ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी निवेश योजनाओं** और **सोशल मीडिया ठगी** से बचने के उपाय बताए गए।

- **थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत कन्या गुरूकुल इंटर कॉलेज, भैंसवाल** में छात्राओं द्वारा **मानव श्रृंखला बनाकर रैली** निकाली गई, जिसके माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव एवं सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के प्रति प्रेरित किया गया।

इसी क्रम में जनपद के अन्य सभी थानों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में **साइबर जागरूकता अभियान** के तहत जनसंपर्क, चौपाल एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, ताकि जनपद के प्रत्येक नागरिक तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुँच सके।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे **ऑनलाइन लेनदेन या किसी भी डिजिटल गतिविधि के दौरान सतर्क रहें**, अनजान कॉल, लिंक या ऑफर पर विश्वास न करें और किसी भी प्रकार के साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल **1930 हेल्पलाइन** या **cybercrime.gov.in** पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI